एसआईटी पर फिर उठे सवाल

- सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग
- प्रबुद्ध नागरिक शक्ति मंच की मांग

अहमदाबाद
ahmedabad@patrika.com

गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच पर पूर्व डीजीपी आर.बी.श्रीकुमार, निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट के सवाल उठाने के बाद अब प्रबुद्ध नागरिकों ने भी अंगुली उठाई है।

प्रबुद्ध नागरिक शक्ति मंच के तले गुजरात लोक समिति के अध्यक्ष चुनीभाई वैद्य, पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता, आवाज की अध्यक्ष इलाबेन पाठक, प्रशांत के फादर सेड्रिक प्रकाश, पीयूसीएल के महामंत्री गौतम ठाकर सहित 14 लोगों के हस्ताक्षर व विचारों से जुड़े ज्ञापन को सोमवार को रजिस्टर्ड एडी से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस. एच. कापडिया को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने व योग्य कदम उठाने की मांग की है। पत्र के अनुसार सीबीआई के पूर्व निदेशक आर. के. राघवन की अध्यक्षता में खुद सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही गठित एसआईटी जाकिया जाफरी की ओर से दर्ज कराए गए मामले में कई अहम दस्तावेजों व सबूतों की अनदेखी कर क्लोजर रिपोर्ट दाखल करने जा रही है। एसआईटी की अनदेखी के चलते दस वर्षों के बाद एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन की रिपोर्ट से बंधी न्याय की आस भी धूमिल होने के आसार हैं। मंच ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के बावजूद एसआईटी जाकिया जाफरी मामले में अंतिम रिपोर्ट सौंपने में देरी कर रही है। एसआईटी ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध पेश किए गए सबूतों व बयानों, मामले से संबद्ध मोबाइल फोन रिकॉर्ड, स्टेशन डायरी की नोंध, पुलिस कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड की भी अनदेखी की है।

राजू रामचंद्रन की ओर से इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की रिपोर्ट को भी अनदेखा कर दिया है।